''राष्ट्रहितार्थराष्ट्रसेवार्थकरसंचयार्थ''

# आयुक्त का कार्यालय
## केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा–परीक्षा::कानपुर
## जी0एस0टी0 भवन, 117/7, सर्वोदय नगर, कानपुर।

पत्र सं0 I(22)20/प्रशा0/आडिट/हिन्दी पत्रिका/2020 दिनांक 29.10.2020

## निविदा सूचना

सूचित किया जाता है, कि विभागीय हिन्दी पत्रिका ''त्रिपथगा'' के भाग–3 का प्रकाशन होना है। अतः पत्रिका की 500 प्रतियाँ छापने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्य करने की इच्छुक पार्टियॉ किसी भी कार्य दिवस पर सांय 03.00 से 05.00 बजे तक छपाई सामग्री से संबंधित जानकारी हेतु श्री अमरेश चन्द्र कुरील, सहायक आयुक्त (राजभाषा) से कार्यालय में अथवा मोबाईल सं0 80528 88810 पर संपर्क कर सकते हैं।

संबंधित इच्छुक पार्टियों को आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है, कि पत्रिका प्रकाशित करने से संबंधित समस्त कार्यो का निष्पादन दिनांक **30.12.2020** तक किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तय समय पर पत्रिका का लोकार्पण किया जा सके।

कार्य करने की इच्छुक पार्टियॉ अपना सीलबन्द कोटेशन हस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 20.11.2020 सांय 05.00 बजे तक अवश्य उपलब्ध करा दें, इसके बाद किसी भी प्राप्त कोटेशन को विचार हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक–'क': शर्तो की सूची।

रुद्र प्रताप सिंह
29-10-2020
संयुक्त आयुक्त
केन्द्रीय कर एवं उत्पाद शुल्क,
लेखा–परीक्षा आयुक्तालय,
कानपुर।

**अनुलग्नक–'क'**

**विभागीय हिन्दी पत्रिका ''त्रिपथगा'' के भाग–3 का प्रकाशन से संबंधित विभिन्न शर्ते निम्न प्रकार से है:–**

01. पत्रिका की कुल 500 प्रतियाँ छापी जायेंगी।
02. पत्रिका लगभग 150 पृष्ठों की होगी।
03. पत्रिका में लेखों के अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये चित्र भी छपेगें।
04. पत्रिका के मुख पृष्ठ की डिजाईन कार्यालय द्वारा स्वीकृत करानी होगी।
05. पत्रिका के पृष्ठों की साज–सज्जा हेतु प्रत्येक पृष्ठ युग्म की आंतरिक डिजाइन भी संपादन दल से अनुमोदित करानी होगी।
06. पत्रिका के लेखों के टंकण का कार्य न्यूनतम अवधि में पूर्णकर संपादन दल को उपलब्ध कराना होगा ताकि प्रूफ रीडिंग एवं डिजाइनिंग का कार्य समयबद्व तरीके से पूरा किया जा सके।
07. पत्रिका के लेख एवं चित्र के प्रूफ संपादन दल से स्वीकृत कराने होगें।
08. पत्रिका के बारे में समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
09. पत्रिका की छपाई के पूर्व एक कलर्ड डमी भी कार्यालय से स्वीकृत करानी होगी।
10. पत्रिका दिनांक 30.12.2020 तक छप कर कार्यालय को यथासंभवतः प्राप्त हो जानी चाहिए।